मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल

८३, मालवीय नगर, भोपाल - ४६२ ००३

क्र०क.आ./स्था./०५/ ....   भोपाल, दिनांक ....

प्रति,

उप-सचिव,
म०प्र० शासन, श्रम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषय :- सूचना का अधिकारी अधिनियम २००५ का क्रियान्वयन।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र० क.आ./स्था./०५/४२५८ दिनांक १९-९-०५

महोदय,

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से म०प्र० श्रम कल्याण मंडल के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी के मनोनयन की जानकारी भेजी गई थी।

उक्त पत्र में संशोधन करते हुए निम्नानुसार अपीलीय अधिकारी, जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं :-

१- श्री आर०जी० पाण्डेय, कल्याण आयुक्त, म०प्र० श्रम कल्याण मंडल, ८३, मालवीय नगर, भोपाल (दूरभाष क्र० ०७५५/२५५१८६६ कार्यालय) को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

२- म०प्र० श्रम कल्याण मंडल हेतु सूचना का अधिकारी अधिनियम २००५ के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी श्री आर०एस० वाघ, सहायक कल्याण आयुक्त, म०प्र० श्रम कल्याण मंडल, ८३, मालवीय नगर, भोपाल (दूरभाष क्र० ०७५५/२५७२७५३ कार्यालय) को नियुक्त किया गया है।

३- सहायक जन सूचना अधिकारी हेतु श्री दिलीप बेहेरे, जनसम्पर्क अधिकारी, म०प्र० श्रम कल्याण मंडल, ८३, मालवीय नगर, भोपाल (दूरभाष क्र० ०७५५/२५७२७५३ कार्यालय) को नियुक्त किया गया है।

(आर.जी. पाण्डेय)
कल्याण आयुक्त

D:\RTI Contents\labour\suchna.doc

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल

मंडल का मैनुअल

१- मंडल का संगठन, कार्यप्रणाली एवं उत्तरदायित्व -

१.१ मंडल का गठन -

यह मंडल मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२ (मध्य प्रदेश अधिनियम क्र० ३६ सन् १९८३) की धारा ४ (१-५) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक १४ नवम्बर, १९८७ के तहत गठित शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला ''मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल'' नाम का एक निगमित निकाय है; जिसमें -

(१) म०प्र० शासन द्वारा नाम निर्देशित तथा नियुक्त एक अध्यक्ष, सचिव एवं नियोजकों के ६ प्रतिनिधि, कर्मचारियों के ६ प्रतिनिधि तथा ७ स्वतंत्र सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य सम्मिलित है। कुल २१ सदस्य है। मंडल गठन संबंधी अधिसूचना परिशिष्ट-१.१ तथा १.२ पर संलग्न है।

(२) अधिनियम की धारा ४ (३) (घ) तथा धारा १५ (३) के अनुसार मंडल के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(३) अधिनियम की धारा १५ (१) (२) के अनुसार कल्याण आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी तथा कल्याण आयुक्त मंडल का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा।

(४) अधिनियम की धारा १७ के अधीन मंडल को ऐसी शर्तों के अद्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए, ऐसे अधिकारियों, लिपिकीय तथा कार्यपालिक कर्मचारीवृन्द को नियुक्त करने की शक्ति होगी जो निधि से वित्तपोषित क्रियाकलापों को कार्यान्वित करेंगे तथा उनका पर्यवेक्षण करेंगे।

१.२ मंडल के कार्य -

(१) मंडल के कार्य तथा उत्तरदायित्व म०प्र० श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२ तथा म०प्र० श्रम कल्याण निधि नियम १९८४ (यथा संशोधित) के उपबंधों पर आधारित हैं।

(२) अधिनियम तथा अधिनियम की धारा ११ (२) के अनुसार श्रम कल्याण निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों हेतु किया जा सकेगा :-

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिनके अंतर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं;

(ख) सामुदायिक आवश्यकताएँ ;

(ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के लिये शैक्षणिक सुविधाएँ ;

(घ) खेल तथा खेल-कूद ;

(ड.) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स) ;

(च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद ;

(छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएँ ;

(ज) सामाजिक स्वरूप के सामुदायिक क्रियाकलाप ;

(झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मंडल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन तथा भत्ते आते हैं ; और

(ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मंडल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों।

१.३ **मंडल के उत्तरदायित्व** - मंडल के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं :-

(१) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के विनिधान के लिये नीतियाँ अधिकथित करना सम्मिलित हैं,

(२) अधिनियम की क्रमश: धारा ९ (८), १४ (क), (१) (३), के अनुसार क्रमश: शासन से अंशदान प्राप्त करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजना तथा धारा १४ (३) के अनुसार मंडल के लेखाओं की संपरीक्षा करवाना,

(३) निधि में धारा ९ (२) (३) के अनुसार प्राप्त अभिदाय, अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण,

(४) निधि में धारा ८ (६) के अनुसार अनपेड राशि का संदाय तथा ८ (९) के अनुसार अनपेड राशि का निधि में अंतरण,

(५) मंडल को देय रकमों की समुचित एवं समय पर वसूली,

(६) अधिनियम की धारा ३ (१) में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन विहित कृत्यों का पालन करना।

२- मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -

२.१ **स्थापनाओं से अंशदान प्राप्त करना** - अधिनियम की धारा ९ (२) (३) में नियोजकों से प्रति छ: माही प्राप्त अभिदाय राशि कल्याण आयुक्त, म०प्र० श्रम कल्याण मंडल को भेजी जाती है। इसी प्रकार धारा ८ के तहत स्थापनाओं में जमा असंदत्त संचित राशि भी मंडल को भेजी जाती है। मंडल के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह मंडल को प्राप्त अभिदाय राशि तथा असंदत्त संचित राशि का विधिवत तथा व्यवस्थित लेखा-जोखा रखे तथा समय-समय पर दोषी संस्थानों को अभिदाय/अनपेड राशि भेजने हेतु संसूचित करें ।

२.२ **निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही** - मंडल में पदस्थ कार्यपालिक अधिकारियों जिन्हें उक्त अधिनियम के तहत निरीक्षक घोषित किया गया है, का कर्तव्य है कि वे दोषी स्थापनाओं में निरीक्षण कर अभिदाय/अनपेड राशि की वसूली करें तथा निरीक्षण उपरांत अनुवर्ती कार्यवाही करें।

२.३ **मंडल को देय अभिदाय** - म०प्र० श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२ की धारा ९ (२) (३) के अनुसार अभिदाय की दरें निम्नानुसार हैं :-

(१) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छ: माह में देय अभिदाय की रकम केवल एक रूपया,

(२) प्रत्येक कर्मचारी के लिये नियोजक द्वारा प्रत्येक छ: माह में देय अभिदाय की रकम तीन रूपये,

(३) किन्तु प्रत्येक छ: माह में देय नियोजक का अभिदाय रू० १५०/ - से कम नहीं होगा,

(४) अधिनियम की धारा ९ (८) के अनुसार राज्य सरकार नियोजकों के अभिदाय के बराबर की रकम के अंशदान का संदाय मंडल को करेगी।

(५) उपरोक्तानुसार अभिदाय राशि प्रत्येक छ: माही अर्थात् जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर माह की समाप्ति के पश्चात् नियोजक द्वारा निर्धारित प्रपत्र ''क'' में भरकर बैंक ड्राफ्ट अथवा

चेक द्वारा (क्लीयरेंस चार्ज सहित) जो कल्याण आयुक्त, म०प्र० श्रम कल्याण मंडल, भोपाल के नाम देय हो, से मंडल कार्यालय में १५ जुलाई तथा १५ जनवरी के पूर्व जमा करवाया जायेगा।

(६) मंडल द्वारा प्रत्येक स्थापना से प्राप्त अभिदाय का अवधि अनुसार विवरण कम्प्यूटर में प्रत्येक स्थापना का पृथक-पृथक रखा जायेगा तथा प्रत्येक स्थापना हेतु कम्प्यूर कोड प्रदान किया जायेगा तथा प्राप्त अभिदाय की पावती का प्रेषण संबंधित स्थापना को किया जायेगा।

(७) जिन स्थापनाओं से मंडल को देय अभिदाय प्राप्त हो रहा है उन स्थापनाओं के श्रमिक/कर्मचारी मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

3– निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की चरणवार जानकारी –

३.१ मंडल के कल्याण आयुक्त इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। मंडल में निर्णय, पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में वर्तमान में कार्यरत् अधिकारियों के निम्नानुसार स्तर निर्धारित हैं :-

कल्याण आयुक्त

सहायक कल्याण आयुक्त
(प्रशासन, स्थापना तथा कल्याण गतिविधियों का क्रियान्वयन)

लेखाधिकारी सह अभिदाय वसूली अधिकारी
(मंडल के लेखा, बजट का पर्यवेक्षण तथा स्थापनाओं से प्राप्त अभिदाय का पर्यवेक्षण)

३.२ इसके अतिरिक्त मंडल मुख्यालय में एक जनसम्पर्क अधिकारी पदस्थ हैं जो मंडल की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं/गतिविधियों के प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन कार्य में संलग्न हैं।

३.३ मंडल द्वारा प्रदेश में पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर क्षेत्रीय अधिकारी पदस्थ किये गये हैं जो अभिदाय वसूली तथा मंडल की श्रमिक कल्याण गतिविधियों के क्रियान्वयन का कार्य देखते हैं जो इस प्रकार हैं :-

क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर-चंबल संभाग

क्षेत्रीय अधिकारी इंदौर-उज्जैन संभाग

क्षेत्रीय अधिकारी भोपाल संभाग

क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर संभाग

क्षेत्रीय अधिकारी रीवा-सतना संभाग

४- कृत्यों के निर्वहन के लिये मानदण्ड/प्रतिमान निश्चित करना -

मंडल के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये उनके मानदण्ड/प्रतिमान का विनिश्चय मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं।

५- कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित/नियंत्रण के अधीन अथवा उपयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल्स् तथा अभिलेख -

५.१ मंडल के अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये निम्नलिखित अधिनियम एवं नियमों का उपयोग किया जाता है :-

(१) म०प्र० श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२ (मध्य प्रदेश अधिनियम क्र० ३६ सन् १९८३)

(२) म०प्र० श्रम कल्याण निधि नियम १९८४

५.२ उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अतिरिक्त मंडल के आंतरिक प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय सेवकों को लागू सेवाशर्तें एवं सेवा नियमों का उपयोग किया जाता है, उदाहरणार्थ -

(१) म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम १९६६

५.३ कल्याणकारी कृत्यों का निर्वहन -

म०प्र० श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालक मंडल की बैठकों में लिये गये निर्णयों अनुसार श्रमिक कल्याण गतिविधियों का संचालन मंडल के मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों तथा मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

६- धारित या नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियाँ -

कंडिका ५ के अनुसार

७. नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा क्रियान्वयन/परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध/व्यवस्था की विशिष्टियाँ -

यह मंडल, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा (सील) वाला पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय है। इसकी नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा कार्यान्वयन या परिपालन के संबंध में मंडल पूर्णत: शसक्त एवं स्वतंत्र है।

८. परामर्श के आशय हेतु बोर्ड/परिषद/कमेटी -

मंडल के अध्यक्ष तथा सचिव एवं अन्य १९ सदस्यों के अतिरिक्त कोई अन्य स्थाई परिषद/कमेटी नहीं है तथा मंडल की बैठक सार्वजनिक रूप से खुली नहीं है और मंडल की बैठक का कार्यवाही विवरण सार्वजनिक रूप से पहुंच/अभिगम्य नहीं है।

९. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका -

मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका परिशिष्ट-२.१ से २.९ पर संलग्न है।

१०. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक -

मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा माह अगस्त २००५ में प्राप्त पारिश्रमिक परिशिष्ट-३.१ एवं ३.२ पर संलग्न है।

११. बजट -

वर्ष २००५-०६ का बजट परिशिष्ट-४.१ से ४.६ पर संलग्न है।

१२. अनुदान के कार्यक्रमों के प्रवर्तन की रीति और आवंटन तथा हितग्राहियों का विवरण -

१२.१ म०प्र० श्रम कल्याण निधि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार कल्याण गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष २००५-०६ में राशि आवंटित की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही श्रमिकों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान की जा रही है -

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष २००५-०६ के लिये आवंटन
०१	श्रमिक बच्चों को सस्ती दरों पर कापियों का वितरण	५,५०,०००/-
०२	जनसंख्या नीति कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण	५,५०,०००/-
०३	श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण	३०,००,०००/-
०४	वार्षिक खेलकूद एवं अन्य गतिविधियाँ	३,८०,०००/-
०५	श्रमिक एवं उनके बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर व्यय	५,००,०००/-
०६	कल्याण केन्द्र हेतु खेल एवं अन्य सामग्री क्रय एवं मरम्मत	३,००,०००/-
०७	श्रम कल्याण मासिक प्रकाशन पर व्यय	२,००,०००/-
०८	श्रम कानून जानिए पुस्तक श्रृंखला/विविध प्रकाशनों हेतु व्यय	३५,०००/-
०९	विधवा पेंशन योजना	५०,०००/-
१०	अंतिम संस्कारों हेतु श्रमिकों के परिवारजनों को सहायता	६०,०००/-
११	शारीरिक असमर्थता पर सहायता	८०,०००/-
१२	श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान	८०,०००/-

१२.२ **कार्यक्रमों के प्रवर्तन की रीति** - परिशिष्ट-५.१ से ५.६ पर संलग्न योजनाओं में प्रवर्तन की रीति का पूर्ण विवरण उल्लेखित है।

१२.३ **हितग्राहियों का विवरण** - हितग्राहियों का विवरण कंडिका १२.२ के परिशिष्ट-५.१ से ५.६ में योजनाओं के विवरण के साथ उल्लेखित हैं।

१३. रियायतें/सुविधायें प्राप्त करने वालों की विशिष्टियाँ -

म०प्र० श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२ के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किसी स्थापन (कारखाना) तथा ऐसी स्थापनाओं जो व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा उससे संबंधित अथवा सहयोगी कार्य करते हों एवं जिनमें विगत १२ माहों में किसी भी कार्यदिवस पर ९ से अधिक श्रमिक नियुक्त हों अथवा नियुक्त किये गये हों, में कार्यरत समस्त कर्मचारी/श्रमिक (प्रबंधकीय क्षमता छोड़कर) मंडल की समस्त गतिविधियों का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

१४. प्राप्यनीय/धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण -

इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना प्राप्त करना अथवा धारित करने संबंधी प्रक्रिया, इस मंडल में अभी प्रभावशील नहीं है।

१५. नागरिकों का सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्नीय सुविधायें एवं वाचनालय -

अधिनियम, नियम एवं अनुदान तथा प्रसुविधाओं से संबंधित मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२ का प्रकाशन मंडल द्वारा किया गया है जिसकी प्रतियाँ नागरिकों के अध्ययन हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रति का मूल्य १०/- निर्धारित है। इसके अतिरिक्त मंडल की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मंडल कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपलब्ध है।

१६. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम -

(१) श्री आर.जी. पाण्डेय, कल्याण आयुक्त
जन सूचना अधिकारी

(२) श्री आर.एस. वाघ, सहायक कल्याण आयुक्त,
सहायक जन सूचना अधिकारी

१७. अन्य सूचनायें जो विहित की जाये -

कोई नहीं।

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक १६ मार्च, २००५

क्रमांक एफ १४-९/२०००/ए/सोलह - मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ की धारा ४ की उपधारा (३), सहपठित मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८४ के नियम ५, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक २९/९/२००३ को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :-

१. अध्यक्ष - श्री सुन्दर सिंह शक्रवार
(अधिसूचना क्रमांक एफ १४-९/२०००/ए/सोलह
दिनांक १६ अक्टूबर, २००४ अनुसार)

२. सचिव - कल्याण आयुक्त

३. नियोजकों के प्रतिनिधि - (६)

१ कार्यपालक निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल या उनके प्रतिनिधि।
२ श्री प्रताप वर्मा, सचिव, फेडरेशन ऑफ एम.पी. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, भोपाल।
३ श्री एस.के. सिंघल, उपाध्यक्ष, रेमण्ड लिमिटेड, बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश या उनके प्रतिनिधि।
४ श्री अरविन्द नांदेडकर, एम.बी. मोटर्स, किला मैदान, इंदौर।
५ श्री शिरीष परांडेकर, लघु उद्योग भारती, ४० रचना नगर, गोविंदपुरा, भोपाल।
६ अध्यक्ष, ओरियन्ट पेपर मिल्स, अमलाई, जिला शहडोल या उनके प्रतिनिधि।

४. श्रमिकों के प्रतिनिधि - (६)

१ श्री भगवानदास गोंडाने, एडवोकेट प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, म.प्र. ३७ बक्शी गली, फ्रूट मार्केट के पीछे, राजवाड़ा के पास, इंदौर।
२ श्री आर.डी. त्रिपाठी, महामंत्री, मध्य प्रदेश इंटक, भोपाल।
३ श्रीमती आशाताई मांडलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, द्वारा श्री प्रकाश चौधरी, म.नं. ७, छाया नगर, उज्जैन।
४ श्री धर्मदास शुक्ला, अध्यक्ष, म.प्र. बिजली कर्मचारी संघ, १०/३०२, केश निवास, अस्पताल चौराहा, रीवा।
५ श्री रूपसिंह चौहान, सचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, (एटक) भोपाल।
६ श्री कैलाश लिम्बोदिया, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, सीटू, मध्य प्रदेश राज्य समिति, इंदौर।

५. स्वतंत्र सदस्य - (७)

१ श्री ताराचन्द बावरिया, विधायक, वार्ड नं० १५ परासिया, जिला छिंदवाड़ा।
२ श्रीमती प्रभा द्विवेदी, पूजा प्रिन्टर्स, गंज रोड, शहडोल।
३ श्री मदनलाल रांझी, महामंत्री, सी.आय.ए.ई. वर्कर्स यूनियन, नबी बाग, भोपाल।
४ श्री सुरेश शर्मा, पत्रकार, हिन्दी एक्सप्रेस, जबलपुर, एफ-१२०/१२, शिवाजी नगर, भोपाल।

५ प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल।
६ श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर।
७ संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, नन्दा नगर, इंदौर।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(नीरज दुबे)
उप सचिव, म.प्र शासन
श्रम विभाग

प्रतिलिपि :
१. निज सचिव, माननीय मंत्री जी श्रम
२. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी श्रम

---

१. श्रमानयुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर।
२. सर्व संबंधित जन।

(नीरज दुबे)
उप सचिव, म.प्र शासन
श्रम विभाग

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल भोपाल
मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण
(कंडिका ९ के अनुसार)

क.	नाम एवं पद	पता	दूरभाष
१.	श्री आर जी पाण्डेय, कल्याण आयुक्त	ई एन १/२० चार इमली,भोपाल	२४३०१३२
२	श्री आर एस वाघ, सहा.कल्याण आयुक्त	बी/२३ कमला नगर भोपाल	२७६२२५३
३	श्री मार्कण्डेय सिंह, लेखाधिकारी	साउथ टी टी नगर भोपाल	---
४	डॉ. दिलीप बेहेरे, जनसम्पर्क अधिकारी	एन २/७७२ हबीबगंज भोपाल	२४७२३६५
५	श्री लक्ष्मी नारायण पाटीदार, मुख्यलिपिक	एन २/८०० हबीबगंज भोपाल	९८२६४२२१९०
६	श्री राजेश वाधवानी, उ.श्रै.लि.	बी न्यू १४ शालू फेन्सी स्टोर के पास बैरागढ भोपाल	---
७	श्री मनीष श्रीवास्तव उ.श्रै.लि.	एमआइजी ७० श्री रामेश्वरम एक्सटेंशन बाग मुगालिया भोपाल	९८२६७२२०३०
८	श्री भरत पाटीदार, लैखापाल	शारदा विहार केरवाडेम रोड भोपाल	२६९६९७४
९	श्री अरशद नक्वी क. श्रै. लि.	१३८ हा. बोर्ड कालोनी कोहेफिजा भोपाल	---
१०	श्री अशोक मिनामा क. श्रै. लि.	१०१ गोपाल नगर, जेल रोड करोंद भोपाल	---
११	श्री कामता प्रसाद कोरी क.श्रैलि	१०२ गोपाल नगर जेल रोड करोंद भोपाल	---
१२	श्री महेन्द्र सिंह यादव कल्याण सहायक	एन २/८०२ हबीबगंज भोपाल	९४२५०२३०४७
१३	श्री साजन दास हरचंदानी, सहा.प्रोग्रामर (संविदा)	४५/३ गायत्री नगर करारिया भोपाल	९८३६०२८०२०
१४	श्री हरेसिंह चौहान, शीघ्र लेखक (संविदा)	ई डब्लु एस ५३२ कोटरा भोपाल	२७७३७४७
१५	श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, लेखापाल(संविदा)	ए एक्स-१९४ राजहर्ष कालोनी कोलार रोड भोपाल	९४२५०२९८२९
१६	श्रीमती मंजिरी मिलिन्द हलवे,क.श्रै.लि.	बी/१४३ शाहपुरा भोपाल	२४२१०४७
१७	श्री भोगेंद्र झा, भृत्य/वाहन चालक	१०३ गोपाल नगर जेल रोड करोंदभोपाल	---
१८	श्री हेमकुमार मकोरिया वाहन चालक (संविदा)	९७ बी एच ई एल भोपाल	२६८९०५२
१९	श्री विजय यादव भृत्य	१०८ गोपाल नगर जेल रोड करोंद भोपाल	---
२०	श्री नील प्रसाद श्रेष्ठ भृत्य	चार इमली भोपाल	---
२१	श्री राजेन्द्र सिंह सिकरवार, भृत्य	एन २/८०४ हबीबगंज भोपाल	---
२२	श्री रविन्द्र सिंह सिकरवार भृत्य	एन २/७९८ हबीबगंज भोपाल	---
२३	श्री वसंत यादव भृत्य (संविदा)	ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल	---

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अगस्त-०५ का वेतन

स० क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	राशि
०१	श्री आर. एस. वाघ, सहायक कल्याण आयुक्त	६,९२४/-
०२	श्री आर. पी. मिश्र, सहायक कल्याण आयुक्त	११,०१३/-
०३	श्री मार्कण्डेय सिंह, लेखाधिकारी	८,१२७/-
०४	श्री बृजेश राजपूत, कल्याण अधिकारी	७,२२७/-
०५	श्री दिलीप बेहेरे, जनसम्पर्क अधिकारी	१०,०२२/-
०६	श्री सुरेन्द्र यादव, कल्याण पर्यवेक्षक	६,६६५/-
०७	श्री प्रेमसिंह पटेल, कल्याण पर्यवेक्षक	४,५६६/-
०८	श्री एल. एन. पाटीदार, मुख्यलिपिक	५,९५७/-
०९	श्री भारत पाटीदार, लेखापाल	६,२१४/-
१०	श्री राजेश वाधवानी, उ. श्रे. लि.	६,००४/-
११	श्री मनीष श्रीवास्तव, उ. श्रे. लि.	६,३९६/-
१२	श्री अशोक मीनामा, क. श्रे. लि.	४,१५६/-
१३.	श्री कामता प्रसाद कोरी, क. श्रे. लि.	३,४९४/-
१४	श्री अरशद नक्वी, क. श्रे. लि.	५,४९९/-
१५	श्रीमती मंजरी हलवे, क. श्रे. लि.	४,६१५/-
१६	श्री व्ही. व्ही. शैवाले, कल्याण सहायक	४,३७३/-
१७	श्री महेन्द्र यादव, कल्याण सहायक	२,४१९/-
१८	श्री बृजेन्द्र शर्मा, कल्याण सहायक	३,०१६/-
१९	श्री विकास सिंह परमार, वाहन चालक	३,५५३/-
२०	श्री साजनदास हरचंदानी, मानसेवी सहायक प्रोग्रामर	५,०००/-
२१	श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, मानसेवी लेखापाल	४,५००/-
२२	श्री हरेसिंह चौहान, मानसेवी शीघ्रलेखक	४,५००/-
२३	श्री के. एन. गौड़ , मानसेवी सम्पादक	३,०००/-
२४	श्री नील प्रसाद श्रेष्ठ, भृत्य	३,६३९/-
२५	श्री विजय यादव , भृत्य	२,९७८/-
२६	श्री राजेन्द्र सिंह सिकरवार, भृत्य/चौकीदार	१,९४७/-
२७	श्री भोगेन्द्र झॉ, भृत्य	२,८४४/-
२८	श्री रविन्द्र सिंह सिकरवार, भृत्य	२,३४३/-
२९	श्री हेमकुमार, वाहन चालक(जिलाध्यक्ष दर)	२,४१६/-
३०,	श्री अनीस चौधरी, मानसेवी कल्याण सहायक	२,५००/-
३१	श्री बसंत यादव, भृत्य (जिलाध्यक्ष दर)	२,३०८/-
३२.	श्री सुनील कुमार, भृत्य (जिलाध्यक्ष दर)	२,३०८/-
	यौग	१,५०,५२३/-

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल में कार्यरत मुख्यालय भोपाल से बाहर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अगस्त - ०५ का वेतन

स० क्र	कर्मचारी का नाम/पदनाम	राशि
०१	श्री अभिमन्यू पटेल, मानसेवी कल्याण सहायक, रीवा	२,५००/-
०२	श्री आजाद, मानसेवी कल्याण सहायक, जबलपुर	२,५००/-
०३	श्री शिवशरण यादव, मानसेवी कल्याण सहायक, इन्दौर	२,५००/-
०४	श्री संतोष कुमार दुमकेती , मानसेवी कल्याण सहायक, बुरहानपुर	२,५००/-
०५	श्री बृजेन्द्र खोईया, मानसेवी कल्याण सहायक, ग्वालियर	२,५००/-
०६	श्री भीकमसिंह कुशवाह, कल्याण सहायक, ग्वालियर	५,५२३/-
०७	श्री सुनील जैन, कल्याण सहायक, सीहोर	५६६४/-
०८	श्री जीवन्धर जैन , कल्याण सहायक, जबलपुर	५,१६६/-
०९	श्रीमती कल्पना सिलोदिया, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिला. दर,सीहोर	२,२२८/-
१०	श्रीमती दीपा सक्सेना, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर,पीथमपुर	२,२२८/-
११	श्रीमती कुसुमलता जैन, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर,ग्वालियर	२,२२८/-
१२	श्रीमती संगीता यादव, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर, बानमोर	२,२२८/-
१३	श्रीमती ममता देवडा, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर, इन्दौर	२,२२८/-
१४	श्रीमती सुशीला बाई, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर, बुरहानपुर	२,२२८/-
१५	श्रीमती सविता परांजपे, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर,नागदा	२,२२८/-
१६	श्रीमती मीता शर्मा, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर, जबलपुर	२,२२८/-
१७	श्रीमती माया देवी, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका, जिलाध्यक्ष दर, रीवा	२,२२८/-
१८	श्रीमती रईसा बेगम, अंशकालिक सहायक, रीवा	१,०००/-
	योग	४९,९०५/-

कार्यालय म०प्र० श्रम कल्याण मंडल, भोपाल
वर्ष २००५-२००६ हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव

स.क्र.	मद का विवरण	राशि
(क)	प्रशासनिक व्यय :-	
०१	मंडल के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अधिकारियों के वेतन भत्ते	११,१७,२३०.००
०२	कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	२६,०९,०६६.००
०३	कल्याण सहायकों को वेतन एवं भत्ते	२,४६,०००.००
०४	मानसेवी कार्यकर्ताओं का मानदेय	७२,०००.००
०५	यात्रा व्यय	२,३४,०००.००
	योग	४२,७८,२९६.००
(ख)	अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय :-	
०१	कार्यालय भवन किराया	२,९९,५०८.००
०२	मुद्रण लेखन सामग्री	४७,०००.००
०३	फर्नीचर क्रय एवं मरम्मत	१,००,०००.००
०४	वाहनों हेतु पेट्रोल / डीज़ल / मरम्मत व्यय	२,५०,०००.००
०५	दूरभाष व्यय	१,१७,०००.००
०६	विद्युत एवं जल व्यय	३१,६००.००
०७	डाक व्यय	४८,५००.००
०८	परिवहन व्यय	४,८००.००
०९	आकस्मिक / विविध / सत्कार एवं अन्य व्यय	६५,०००.००
१०	कार्यालय हेतु कम्प्यूटर /प्रिन्टर क्रय एवं मरम्मत	२५,०००.००
	योग	९,८८,४०८.००
	योग (क + ख)	५२,६६,७०४.००
(ग)	कल्याण गतिविधियों पर व्यय :-	
	१. पुस्तक श्रृंखला/पत्रिकाओं एवं विविध प्रकाशनों हेतु व्यय	३५,०००
	२. छात्रवृत्ति	३०,००,०००
	३. वार्षिक खेलकूद एवं अन्य गतिविधियाँ	३,८०,०००
	४. श्रमिक एवं उनके बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर व्यय	५,००,०००
	५. कल्याण केंद्र हेतु खेल एवं अन्य सामग्री क्रय एवं मरम्मत	३,००,०००
	६. श्रम कल्याण मासिक प्रकाशन पर व्यय	२,००,०००

७.	कल्याण केंद्र भवनों की मरम्मत एवं अन्य व्यय	४,१२,०००
८.	कल्याण केंद्रों में सिलाई प्रशिक्षण हेतु अंशकालिक प्रशिक्षिकाओं को मानदेय	३,०८,०००
९.	कल्याण केंद्रों में कल्याण सहायकों के वेतन एवं भत्ते	२,४६,०००
१०.	कल्याण केंद्रों में अंशकालिक कल्याण सहायकों को मानदेय	४,३२,०००
११.	कल्याण केंद्रों हेतु चौकीदारों का मानदेय	१,८०,०००
१२.	अनुदान एवं आर्थिक सहायता एवं अन्य व्यय	८०,०००
१३.	कल्याण केंद्रों हेतु भवन किराया	३,००,०००
१४.	विधवा पेंशन योजना	५०,०००
१५.	अंतिम संस्कारों हेतु श्रमिकों को सहायता	६०,०००
१६.	शारीरिक असमर्थता पर सहायता	८०,०००
१७.	श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान	८०,०००
१८.	श्रमिक बच्चों को सस्ती दरों पर कापी-किताबों का वितरण	५,५०,०००
१९.	जनसंख्या नीति कार्यक्रम के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण	२,५०,०००
२०.	बजट में किये गये कल्याण गतिविधियों हेतु प्रकाशनों के अतिरिक्त आपात परिस्थितियों में अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	२,००,०००
	योग	७६,४३,०००

योग (क + ख + ग)	१,२९,०९,७०४.००

आय पक्ष

०१ अभिदाय/अंशदान से प्राप्त आय

१.	अभिदाय राशि श्रमिक एवं नियोजक का अंशदान	६५,००,०००
२.	शासन से प्राप्त अंशदान	५०,००,०००
	योग	१,१५,००,०००

०२ अन्य मदों से प्राप्त आय

१.	स्थायी निवेश पर बैंक से प्राप्त ब्याज	४,३०,०००
२.	विज्ञापनों से प्राप्त आय	२,५०,०००
३.	"श्रम कल्याण मासिक" पत्रिका शुल्क	२,००,०००
४.	कर्मचारियों से त्यौहार एवं अनाज अग्रिम की वसूली	२५,०००
५.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं से प्राप्त शुल्क	१,५०,०००
६.	मंडल के विविध प्रकाशनों के विक्रय से प्राप्त आय	५०,०००
७.	श्रमिक बच्चों को कापी/किताबों के विक्रय से प्राप्त आय	४,००,०००
८.	असंदत्त संचित राशि के से प्राप्त प्रकाशन पश्चात राजस्व मे समायोजन	२०,००,०००
	योग	३५,०५,०००

योग (क + ख)	१,५०,०५,०००/-
(-) कुल व्यय	१,२९,०९,७०४/-
लाभ	२०,९५,२९६/-

म०प्र० श्रम कल्याण मंडल प्रस्तावित बजट
वर्ष २००५.०६

०१	मानदेय		
	अ- मंडल के मा० अध्यक्ष महो० का मानदेय एवं भत्ता	१०,०००×१२	१,२०,०००/-
		योग	१,२०,०००/-
०२	अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते		
	१. सहा० कल्याण आयुक्त (दो)	१६,३२६×२×१२	३,९१,८३०
	२. लेखाधिकारी (एक)	११,५५६×१२	१,३८,६७२
	३. कल्याण अधिकारी (एक)	१२,५५८×१२	१,५०,६९६
	४. जनसंपर्क अधिकारी (एक)	१३,१६८×१२	१,५८,०१६
	५. अभिदाय वसूली अधिकारी (एक)	१३,१६८×१२	१,५८,०१६
		योग	९,९७,२३०
०३	कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते		
	१. कल्याण पर्यविक्षक (चार)	९,४०८×१×१२	१,१२,८९६
		१०,२७९×१×१२	१,२३,३४८
		७,९९१×२×१२	१,९१,७८४
	२. कल्याण निरीक्षक (दो)	७,९९१×२×१२	१,९१,७८४
	३. मुख्य लिपिक (एक)	९,८०७×१२	१,१७,६८४
	४. शीघ्रलेखक (दो)	७,९९१×२×१२	१,९१,७८४
	५. लेखापाल (दो)	८,८७७×१×१२	१,०६,५२४
		७,०८५×१×१२	८५,०२०
	६. उच्च श्रेणी लिपिक (तीन)	८,७७६×२×१२	२,१०,६२४
		७,०८५×१×१२	८५,०२०
	७. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (चार)	६,६७७×२×१२	१,६०,२४८
		५,४३०×१×१२	६५,१६०
	८. वाहन चालक (दो)	५,८९५×१×१२	७०,७४०
		५,४३०×१×१२	६५,१६०
	८. भृत्य (सात)	५,५९६×१×१२	६७,१७६
		५,५११×२×१२	१,३२,२६४
		५,४६०×१×१२	६५,५२०
		५,१५७×१×१२	६१,८८४
		४,८१०×२×१२	१,१५,४४०

९.	सफाई कामगार (१), पार्ट टाईम	६००×१×१२	७,२००
१०.	अधिकारी/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति		४२,०००
११.	कर्मचारियों को विभिन्न अग्रिम (त्यौहार एवं अनाज आदि)		२५,०००
१२.	कर्मचारी भविष्य निधि में मंडल का अंशदान		३,१४,८०६
		योग	२६,०९,०६६

मानसेवी

१.	विधि एवं प्रशासनिक सलाहकार (एक)	३,०००×१×१२	३६,०००
२.	संपादक, मासिक ''श्रम कल्याण'' (एक)	३,०००×१×१२	३६,०००
		योग	७२,०००

यात्रा व्यय

१.	मा० अध्यक्ष/कल्याण आयुक्त/अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु यात्रा व्यय		१,७४,०००
२.	बैठक में उपस्थित होने वाले मा० सदस्यों एवं विशिष्ठ अतिथियो हेतु यात्रा व्यय		६०,०००
		योग	२,३४,०००

०३ अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय

१.	कार्यालयीन भवन किराया	१७,९५९×१२	२,१५,५०८
		७,०००×१२	८४,०००
२.	मुद्रण लेखन सामग्री		४७,०००
३.	फर्नीचर क्रय एवं मरम्मत व्यय		१,००,०००
४.	वाहनों हेतु पेट्रोल/डीज़ल एवं मरम्मत व्यय		२,५०,०००
५.	दूरभाष व्यय		१,१७,०००
६.	विद्युत एवं जल व्यय		३१,६००
७.	डाक व्यय		४८,५००
८.	परिवहन व्यय		४,८००
९.	आकस्मिक/विविध/सत्कार एवं अन्य व्यय		६५,०००
१०.	कार्यालय हेतु कम्प्यूटर /प्रिन्टर क्रय एवं मरम्मत		२५,०००
		योग	९,८८,४०८

कल्याण गतिविधियों पर व्यय

१.	पुस्तक श्रृंखला/पत्रिकाओं एवं विविध प्रकाशनों हेतु व्यय	३५,०००
२.	छात्रवृत्ति	३०,००,०००
३.	वार्षिक खेलकूद एवं अन्य गतिविधियाँ	३,८०,०००
४.	श्रमिक एवं उनके बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर व्यय	५,००,०००
५.	कल्याण केंद्र हेतु खेल एवं अन्य सामग्री क्रय एवं मरम्मत	३,००,०००
६.	श्रम कल्याण मासिक प्रकाशन पर व्यय	२,००,०००
७.	कल्याण केंद्र भवनों की मरम्मत एवं अन्य व्यय	४,१२,०००

८. कल्याण केंद्रों में सिलाई प्रशिक्षण हेतु अंशकालिक प्रशिक्षिकाओं को मानदेय	३,०८,०००
९. कल्याण केंद्रों में कल्याण सहायकों के वेतन एवं भत्ते	२,४६,०००
१०. कल्याण केंद्रों में अंशकालिक कल्याण सहायकों को मानदेय	४,३२,०००
११. कल्याण केंद्रों हेतु चौकीदारों का मानदेय	१,८०,०००
१२. अनुदान एवं आर्थिक सहायता एवं अन्य व्यय	८०,०००
१३. कल्याण केंद्रों हेतु भवन किराया	३,००,०००
१४. विधवा पेंशन योजना	५०,०००
१५. अंतिम संस्कारों हेतु श्रमिकों को सहायता	६०,०००
१६. शारीरिक असमर्थता पर सहायता	८०,०००
१७. श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान	८०,०००
१८. श्रमिक बच्चों को सस्ती दरों पर कापी-किताबों का वितरण	५,५०,०००
१९. जनसंख्या नीति कार्यक्रम के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण	२,५०,०००
२०. बजट में किये गये कल्याण गतिविधियों हेतु प्रकाशनों के अतिरिक्त आपात परिस्थितियों में अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	२,००,०००
योग	७६,४३,०००

अन्य प्रशासनिक व्यय

छत्तीसगढ़ विभाजन पश्चात् देय योग्य राशि (शासन से प्राप्त स्वीकृति पश्चात्)	७,९२,०६४
योग	७,९२,०६४

मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ एवं कार्यक्रमों के प्रवर्तन की रीति

वर्तमान में मंडल द्वारा निम्नलिखित श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं जिनका लाभ लेने हेतु हितग्राही श्रमिक को समय-समय पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है :-

श्रम कल्याण केंद्र

वर्तमान में मंडल द्वारा प्रदेश के दस स्थानों- जबलपुर, बुरहानपुर, इंदौर, सीहोर, भोपाल, ग्वालियर, बानमोर, पीथमपुर, रीवा तथा बालाघाट में श्रमिक कल्याण केंद्र संचालित हैं। सतना में शहर से दूर होने तथा वहाँ बस्ती न होने के कारण कल्याण केंद्र संचालित नहीं है। इन कल्याण केंद्रों में वाचनालय, पुस्तकालय, इंडोर तथा आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है जिनका लाभ श्रमिक एवं उनके परिवारजन नियमित रूप से लेते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वों पर विविध आयोजन किये जाते हैं। समय-समय पर वृक्षारोपण, श्रमिक परिवार की महिलाओं तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण एवं पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

शैक्षणिक छात्रवृत्ति

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष १९८९ से प्रतिवर्ष प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों एवं स्थापनाओं में कार्यरत् श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। मंडल द्वारा वितरित की जाने छात्रवृत्ति का उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव के कारण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो सके। मंडल द्वारा वितरित छात्रवृत्ति का लाभ कक्षा आठवीं से बारहवीं, स्नातक, आई.टी.आई., पोलिटेक्निक, स्नातकोत्तर, बी.ई. तथा एम.बी.बीएस. में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार दिया जा रहा है :-

कक्षा आठवीं से बारहवीं	स्नातक, आई.टी.आई.	पोलिटेक्निक	बी.ई., एम.बी.बीएस. तथा स्नातकोत
रूपये ५०० प्रतिवर्ष	रूपये ६०० प्रतिवर्ष	रूपये ६०० प्रतिवर्ष	रूपये १२०० प्रतिवर्ष

प्रारंभ में अर्थात् वर्ष १९८९ में कुल ४८ छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में रूपये १९,४४०/- की राशि वितरित की गई थी, जबकि वर्ष २००३-२००४ में उत्तरोत्तर वृद्धि उपरांत ४,१३९ छात्र-छात्राओं को रूपये २३,८०,६००/- की राशि का वितरण किया गया। इनमें से चालू मिल श्रमिकों के २,८१६ छात्र-छात्राओं को रूपये १७,१९,१००/- तथा बंद मिल श्रमिकों के १३२३ छात्रों को रूपये ६,६१,५००/- छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रवृत्ति का निर्धारण श्रमिकों के आय वर्ग के आधार पर किया गया है।

आय वर्ग (मासिक रूपये)	वितरित की जाने कुल छात्रवृत्ति का प्रतिशत
- २००० तक	४० प्रतिशत
२००१ - ३००० तक	३० प्रतिशत
३००१ - ४००० तक	२० प्रतिशत
४००१ एवं अधिक	१० प्रतिशत

आय वर्ग निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कम आय वाले श्रमिकों को अधिक संख्या में लाभ मिल सके, क्योंकि कम आय वालों को अपने बच्चों को पढ़ाने में अधिक कठिनाई आती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अधिक आय वाले श्रमिकों के मेधावी बच्चों को भी इससे वंचित न होना पड़े।

कापी-किताबों का वितरण

मंडल द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को कक्षा पहली से सातवीं तक, बाजार मूल्य से सस्ती दरों पर (५ रूपये प्रति कापी, १८० पृष्ठ), कापियों का वितरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष २००३-२००४ में ४९३५ छात्र-छात्राओं को कापियों का वितरण किया गया।

श्रमिक खेलकूद

स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। मन की चंचलता का अनुशासित एवं नियमित होना शरीर एवं समाज के लिये आवश्यक है। इसी वाक्य को सार्थक करने के उद्देश्य से मंडल द्वारा श्रमिकों के मध्य खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष १९९० से प्रारंभ किया गया है।

मंडल द्वारा श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाकर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान तथा टीम खेलों के विजेता एवं उपविजेता को राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु अर्हता दी जाती है। अर्थात् मंडल द्वारा प्रथमत: संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत १०० मीटर, २०० मीटर, ४०० मीटर, ८०० मीटर एवं १५०० मीटर दौड़, लम्बीकूद, ऊँचीकूद, तवाफेंक, गोलाफेंक एवं भालाफेंक प्रतियोगितायें तथा टीम खेलों में कबड्डी एवं बॉलीवाल प्रतियोगितायें सम्मिलित की गई हैं। वर्ष २००३-२००४ में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा सका।

उत्तम श्रमिक पुरस्कार

मंडल द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट श्रमिकों के सम्मान हेतु उत्तम श्रमिक योजना का प्रारंभ वर्ष १९९४-९५ में किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जिन्होंने उच्च कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इन्हें पुरस्कृत करने से जहाँ इनकी पहचान स्थापित होती है, वहीं सहयोगी श्रमिकों को भी इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरणा मिलती है। इससे प्रदेश में औद्योगिक शांति को भी बल मिलता है। इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिक को मंडल द्वारा प्रमाण-पत्र, शील्ड एवं राशि रूपये ५०००/- का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

श्रमिक साहित्य पुरस्कार

मंडल द्वारा श्रमिकों की साहित्यिक अभिरूचि एवं प्रतिभा को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष १९९२- ९३ से यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, निबंध तथा प्रेरक प्रसंग विधा के अंतर्गत कुल १२ श्रमिकों को प्रत्येक विधा में श्रमिक साहित्य रत्न, श्रमिक साहित्य विशारद तथा श्रमिक साहित्य प्रवीण से विभूषित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिकों को मंडल द्वारा प्रमाण-पत्र, स्मृति चिन्ह एवं नगद पुरस्कार स्वरूप साहित्य रत्न, साहित्य विशारद, साहित्य प्रवीण को क्रमशः रूपये ११००/-, ७५१/-, ५०१/- प्रदान किये जाते हैं।

परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर विशेष प्रोत्साहन योजना

मंडल की ३९वीं बैठक में लिए निर्णयानुसार जनसंख्या नीति कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने हेतु एक कार्ययोजना तैयार की गई है। योजना में प्रस्तावित पात्रता की शर्तों के आधार पर मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पुरूष अथवा महिला श्रमिकों में उनके पत्नी/पति द्वारा परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर मंडल की ओर से विशेष प्रोत्साहन राशि देने की योजना १.४.२००२ से लागू की गई है। प्रोत्साहन राशि में वृद्धि उपरांत दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र.	नसबंदी के समय जीवित संतान	महिला द्वारा नसबंदी करवा पर प्रोत्साहन राशि	पुरूष द्वारा नसबंदी करवाने प्रोत्साहन राशि
१.	१ लड़की	रूपये २५०० /-	रूपये २७०० /-
२.	१ लड़का	रूपये २००० /-	रूपये २२०० /-
३.	२ लड़कियां	रूपये २००० /-	रूपये २२०० /-
४.	१ लड़का व १ लड़की	रूपये १००० /-	रूपये १२०० /-
५.	२ लड़के	रूपये ५०० /-	रूपये ७०० /-

मासिक "श्रम कल्याण" का प्रकाशन

मंडल द्वारा प्रदेश के नियोजकों, श्रमिकों की जानकारी हेतु शासन तथा मंडल की कल्याण गतिविधियों/योजनाओं, माननीय न्यायालयों के निर्णयों, नियम, एक्ट संशोधनों व अनपेड की सूची प्रकाशित करने के उद्‌देश्य से मासिक **"श्रम कल्याण"** का प्रकाशन वर्ष १९९१ से निरंतर किया जा रहा है। श्रम कल्याण मासिक में श्रम कानूनों एवं इनके अंतर्गत माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे श्रमिकों को अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति सजगता में वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि मासिक **"श्रम कल्याण"** में प्रदेश के औद्योगिक एवं श्रमिक जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। वर्तमान में इसकी ४००० प्रतियों का प्रकाशन किया जाता है। मासिक **"श्रम कल्याण"** का आजीवन सदस्यता शुल्क रूपये ५००/- है एवं वार्षिक शुल्क श्रमिक एवं श्रमिक संघों हेतु रूपये १५/- एवं नियोजकों हेतु रूपये ४०/- निर्धारित है।

गणेश विसर्जन झांकियों को पुरस्कार

मध्य प्रदेश में इंदौर की कपड़ा मिलों द्वारा अनंद चतुदर्शी पर विसर्जन के समय उत्कृष्ट झांकियाँ निकाली जाने की प्रथा है। इन झांकियों में कला के उत्कृष्ट नमूने प्रदर्शित किये जाते हैं। श्रमिकों की इस कला को सम्मान देने की दृष्टिकोण से मंडल द्वारा प्रतिवर्ष गणेश विसर्जन के समय निकलने वाली झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ तीन झांकियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान से पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत शील्ड एवं क्रमशः ५०१/-, ३०१/- एवं २०१/- की धनराशि नगद प्रदान की जाती है।

"अपने श्रम कानून जानिये" पुस्तक श्रृंखला का प्रकाशन

प्रदेश के श्रमिकों एवं नियोजकों को श्रम कानूनों की जानकारी सरल एवं सुबोध भाषा में एवं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से मंडल द्वारा "अपने श्रम कानून जानिये" पुस्तक श्रृंखला का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रम कानून चार भागों में प्रकाशित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त "कर्मचारी पेंशन योजना, १९९५", "कर्मचारी राज्य बीमा योजना", "म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम १९६१", "म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२", "द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसायें" नामक पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं।

सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण

मंडल द्वारा संचालित कल्याण केंद्रों में नौ स्थानों पर श्रमिक परिवारों की महिलाओं तथा बालिकाओं के लिये सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इनमें इंदौर, नागदा, बुरहानपुर, सीहोर, रीवा, जबलपुर, पीथमपुर, बानमोर तथा ग्वालियर में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

मंडल द्वारा माह अगस्त २००२ से भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा में श्रमिकों एवं उनके पुत्र-पुत्रियों को न्यूनतम शुल्क पर कम्प्यूटर के विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष २००३-२००४ में इस योजना के तहत कुल ३१० प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :-

स.क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	निर्धारित शुल्क	
			श्रमिक	गैर श्रमिक
१	फण्डामेंटल ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	२ माह	३००/-	५००/-
२	फण्डामेंटल ऑफ कम्प्यूटर हार्डवेयर	१ माह	२००/-	३००/-
३	प्रोग्रामिंग इन फाक्सफ्रो, डॉस एण्ड विंडो बेस	४ माह	७००/-	१०००/-
४	एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पावर पाइंट)	२ माह	३००/-	५००/-
५	डी.टी.पी. (पेजमेकर)	२ माह	३००/-	५००/-
६	एकाउंटिंग पैकेज	२ माह	४००/-	६००/-
७	वेब पेज डिजाइन (एच.टी.एम.एल.,डी.एच.टी.एम.एल.)	१ माह	२००/-	३००/-
८	लेंग्वेज सी, सी++, पॉसकल, कोबोल, बेसिक	२ माह (प्रति लेंग्वेज)	४००/-	६००/-

विधवा पेंशन

०१ अप्रैल २००३ से श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। श्रमिकों की विधवाओं को पेशन के रूप में १००/- प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। वितरित की जाने वाली राशि को वर्ष में ४ बार यानी प्रत्येक तिमाही में भुगतान किया जायेगा। यह पेंशन उन श्रमिकों की विधवाओं को प्रदान की जा सकेगी जो मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९८२ के अंतर्गत आने वाली किसी स्थापना/संस्थान में कम से कम एक वर्ष निरंतर कार्यरत रहे हों। पेंशन हेतु आवेदिका को संस्थान के माध्यम से यह प्रमाणित करना होगा कि मृत श्रमिक विगत १ वर्ष से निरंतर उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत रहा है। आवेदिका मृत श्रमिक की पत्नि है तथा उसे अन्य किसी जगह से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है अथवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, तो उसे मंडल द्वारा पेंशन सुविधा प्रदान की जा सकेगी। विधवा पेंशन का लाभ उन्हीं को दिया जायेगा, जो कर्मचारी राज्य बीमा येाजना में शामिल नहीं है।

अंतिम संस्कार के लिये सहायता तथा श्रमिक खेलकूद

०१ अप्रैल २००३ से अंतिम संस्कार के लिये मजदूरों की सहायता प्रदान करने हेतु रू. ७५०/- सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाने का का निर्णय लिया गया है। यह सहायता श्रमिक (पुरूष/स्त्री) के मरणोपरांत श्रमिक की पत्नि/श्रमिक अथवा उसके ज्येष्ठ पुत्र अथवा जो पुत्र संस्कार करे उसे दी जावेगी। पुत्र न होने की स्थिति में जो भी अंतिम संस्कार करेगा उसे यह राशि प्रदान की जा सकती है। आवेदक द्वारा नियोजक से यह सत्यापित कराना होगा कि मृत श्रमिक उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत था, इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी।

इस योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को पदान किया जा सकेगा जहां ई.एस.आई. सेवाएं लागू नहीं हैं। ६,५००/- प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा।

शारीरिक असमर्थता पर सहायता राशि प्रदान की जाना

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल निधि अधिनियम १९८२ के क्षेत्राधिकार में आने वाली स्थापनाओं एवं संस्थानों में कार्यरत रहे ऐसे श्रमिकों को जो अब शारीरिक रूप से जीविका पार्जन में असमर्थ है। ०१ अप्रैल २००३ से ६००/- प्रतिवर्ष (५० प्रतिमाह) सहायता राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। जहाँ ई.एस.आई. सेवाओं या अन्य प्रकार की किसी सुविधा का लाभ दिया जा रहा होगा तो यह सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी। आवेदन द्वारा नियोजक से यह सत्यापित कराया जाना होगा कि वह उनके संस्थान/स्थापना में विगत ५ वर्ष से कार्यरत था तथा दुर्घटना में वह हताहत हुआ है तथा उसे विकलांगता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा यदि उसकी विकलांगता इस श्रेणी की है कि वह उस संस्थान में कार्य करने में असमर्थ ठहरा दिया गया है तो इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। ०१ अप्रैल २००३ से यह योजना लागू की गई है।

प्रदेश के श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान प्रदान किया जाना

०१ अप्रैल २००३ से जिन स्थापनाओं एवं संस्थानों में ई.एस.आई. की सुविधा नहीं है वहाँ चिकित्सा अनुदान योजना लागू है। बड़ी बीमारी हेतु एक बार में अधिकतम रू. १५००/- (विशेष स्थिति को छोड़कर) एवं अन्य बीमारियों हेतु रू. ३००/- अधिकतम दिये जा सकेंगे। विशेष स्थिति को छोड़कर वर्ष में एक मजदूर को अधिकतम १५००/- रूपये का चिकित्सा अनुदान दिया जा सकेगा।

\- - - - - - - -